उत्तर प्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2

संख्या-11/2023/086/18-2-2023/18-2002/18/2022

लखनऊ:दिनांक: 15 फरवरी, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना को लागू करने का शासनादेश संख्या-10/2023/016/18-2-2023/18-2-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत कर दिया गया है। एतद्द्वारा PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के कार्यान्वयन संबंधी सामान्य मानकों हेतु दिशा-निर्देश संलग्नक अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

2. उक्त के अतिरिक्त निजी औद्योगिक पार्क विकासकर्ता द्वारा पार्क के किसी भूखण्ड/प्लाट का बिक्रय किये जाने पर उद्यमी द्वारा उक्त भूखण्ड/प्लाट के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि को एस्क्रो खाते में जमा करने के उपरान्त उक्त भूखण्ड/प्लाट को क्रेता के पक्ष में बन्धक मुक्त किये जाने हेतु विकासकर्ता द्वारा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर एक सप्ताह के भीतर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उसे बन्धक मुक्त कर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा उक्त भूखण्ड/प्लाट को बन्धक मुक्त करने पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 दिवस बाद उक्त भूखण्ड/प्लाट स्वत: बन्धक मुक्त मान लिया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अमित मोहन प्रसाद

अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त् एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अनमोल सिंह

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

PLEDGE (Promoting Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines) के अन्तर्गत निर्मित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सामान्य मानक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-10/2023/016/18-0-2023/18-2002/18/2022 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा PLEDGE: निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना जारी की गयी है। उक्त योजना के बिन्दु संख्या-11 के अनुसार निजी प्रवर्तक को औद्योगिक पार्क में वांछित अवस्थापना सुविधाओं यथा- बाउन्ड्रीवाल/फेन्सिंग, आन्तरिक मार्ग (कंक्रीट रोड), नाली, कलवर्ट, विद्युत संयोजन मय ट्रान्सफार्मर, पेय जल सुविधा एवं सीवेज इत्यादि सुविधाओं का विकास मानक के अनुरूप कराया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में सामान्य स्थिति में मानक निम्नवत निर्धारित किये जाते हैं:-

- बाउन्ड्रीवाल/फेन्सिंग:- औद्योगिक पार्क की भूमि को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउन्ड्रीवाल/फेन्सिंग का निर्माण कराया जायेगा जिसकी ऊँचाई कम से कम 6 फीट होनी चाहिए। आवश्यकतानुसार गेट का निर्माण भी बाउन्ड्रीवाल/फेन्सिंग के साथ कराया जाना होगा।
- आन्तरिक मार्ग (कंक्रीट रोड):- औद्योगिक पार्क की आन्तरिक सडकों को प्रबलित (Reinforcement) सीमेन्ट कंक्रीट से बनाया जायेगा जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित मानकों का पालन किया जायेगा :-

आन्तरिक मार्गों का डिजाईन भूमि की भार वहन क्षमता के अनुसार किया जायेगा। सामान्य भार वहन क्षमता होने की स्थिति में सड़क में एक कोट डब्लू0एम0एम0, 1 कोट जी0एस0बी0, 1 कोट डी0एल0सी0 1:4:8 तथा टाप कोट सीमेन्ट कंक्रीट प्रबलन (Reinforcement) के साथ होना चाहिए। सभी इण्टरकोट, डी0एल0सी0 तथा सीमेन्ट कंक्रीट की मोटाई जमीन की भार वहन क्षमता के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार फुटपाथ के नीचे 2 लेयर जी0एस0बी0 तथा बालू के बेड पर ब्रिक-आन-एज (खड़ंजा)/इण्टरलाकिंग ब्लाक लगाया जा सकता है।

- प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की भूमि कम से कम 12 मीटर चौड़ी सड़क से जुडी हुई होनी चाहिए। सड़क की चौड़ाई में पेवमेन्ट एवं फुटपाथ शामिल होंगे। नाली अलग से रहेगी।
- यदि भूमि मुख्य मार्ग से दूर स्थित है तो मुख्य मार्ग से प्रस्तावित क्षेत्र तक कम से कम 12 मीटर चौड़ी अप्रोच रोड विकासकर्ता को निर्मित करनी होगी।
- औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार होनी चाहिए:-
    1. यदि मार्ग की लम्बाई 200 मीटर तक है तो सड़क की चौडाई 12 मीटर से कम नही होनी चाहिए। उक्त चौड़ाई में पेवमेन्ट, फुटपाथ, हरित पट्टी एवं नालियों का कार्य किया जायेगा। 12 मीटर चौड़े मार्गों में पेवमेन्ट (पक्का मार्ग) की चौड़ाई 4 मीटर होगी। पेवमेन्ट के दोनो तरफ कम से कम 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का निर्माण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. यदि मार्ग की लम्बाई 200 मीटर से ज्यादा है तो चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होनी चाहिए। उक्त चौड़ाई में पेवमेन्ट, फुटपाथ, हरित पट्टी एवं नालियों का कार्य किया जायेगा। 18 मीटर चौडे मार्गों में पेवमेन्ट (पक्का मार्ग) की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। पेवमेन्ट के दोनो तरफ कम से कम 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का निर्माण किया जायेगा।
3. डेड इण्ड मार्ग - ऐसे मार्ग जो अन्त में बन्द हो रहे हों तथा उनकी चौडाई 12 मीटर है वहाँ पर सड़क के अन्त में 9 मीटर रेडियस की भूमि पर वाहनों के मोड़ने के लिए सड़क निर्माण करना होगा।
4. औद्योगिक क्षेत्र में एक चौराहे/टी जंक्शन से दूसरे के मध्य निम्नलिखित दूरी होना आवश्यक है:-
    अ. 12 मीटर सड़क पर एक चौराहे से दूसरे चौराहे की दूरी कम से कम - 50 मीटर।
    ब. 12 मीटर सड़क से 18 मीटर सडक पर एक चौराहे से दूसरे चौराहे की दूरी कम से कम - 80 मीटर।

- ड्रेनेज सिस्टम - सड़क के दोनों ओर आवश्यकतानुसार ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जायेगा। सामान्यतः औद्योगिक पार्क में 3 प्रकार के औसत सेक्शन की नालियों का निर्माण कराया जा सकता है:-

1. टाइप - ए साइज 90x90 से०मी० - मुख्य नाला/ड्रेन।
2. टाइप - बी साइज 60x60 से०मी० - 18 मी0 चौड़ी सड़क पर।
3. टाइप - सी साइज 45x45 से०मी० - 12 मी0 चौड़ी सड़क पर।

नालियों के उपरोक्त सेक्शन में से साइट की आवश्यकतानुसार सेक्शन का चुनाव किया जा सकता है। उक्त सिस्टम में ढाल (स्लोप) का विशेष ध्यान रखा जायेगा। नालियों से निकलने वाले डिस्चार्ज को औद्योगिक पार्क के निकटस्थ मुख्य नाले से जोड़ा जायेगा। यदि औद्योगिक पार्क के निकट कोई मुख्य सरकारी नाला उपलब्ध नहीं है तो जल प्रबन्धन संयंत्र लगाते हुए डिस्चार्ज का निस्तारण किया जायेगा। नाली का निर्माण ब्रिक वर्क/आर०सी०सी० से कराया जायेगा।

- रोड क्रासिंग पर आवश्यकतानुसार नालियों के सेक्शन के अनुसार कास ड्रेन/कलवर्ट का निर्माण कराया जायेगा।
- औद्योगिक क्षेत्र के आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य एवं औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत लोड के अनुरूप ट्रान्सफार्मर/सब-स्टेशन स्थापित करने का कार्य निजी विकासकर्ता को स्वयं कराना होगा।
- निजी विकासकर्ता को सालिड वेस्ट के कलेक्शन एवं डिस्पोजल का कार्य कराना होगा।
- औद्योगिक पार्क में पेयजल सुविधा हेतु 20 कि०ली० प्रतिदिन प्रति हेक्टेअर के हिसाब से डिजाइन करते हुए कराया जायेगा। इस हेतु औद्योगिक पार्क में आवश्यतानुसार ट्यूबवेल,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ओवरहेड टैंक तथा पाइप लाइन का कार्य कराया जायेगा। औद्योगिक पार्क की पाइप लाइन में फायर हाईड्रेन्ट का भी प्राविधान किया जायेगा।

उपरोक्त मानक कार्य स्थल की सामान्य अवस्था के लिए निर्धारित किये गये हैं। कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार यदि उपयोक्त में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है तो सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।

------x-------

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।